न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 15/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर :: 2025/110

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी मारवाड़ जंक्शन		सद्दाम हुसैन पुत्र निशार मोहम्मद निवासी 17 रामदेव रोड पाली शहर (हाल प्रोपराईटर)

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/03/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.02.2025 24.09.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी मारवाड़ जंक्शन हमराह श्री जितेन्द्र आशिया प्रवर्तन अधिकारी संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान पाली शहर में रामदेव रोड पर स्थित एक मकान पर पहुंचे। मौके पर सद्दाम हुसैन उपस्थित मिले, जिन्होनें खुद को प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान रवि पुत्र लिखमीचंद, निवासी 105, रजत नगर, पाली शहर एवं मो. आसिफ पुत्र मंजुर मोहम्मद, निवासी घोसी कॉलोनी, पाली शहर की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच के दौरान 06 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) (5 एचपी व 1 इण्डेन) कम्पनी के तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर पाये गये। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स रूचिता गैस, पाली शहर के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.900	15.700	14.200	4908884
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.100	15.900	14.200	268461
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.100	15.800	14.200	143993
4	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.600	15.400	14.200	494154
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.900	15.700	14.200	871446
6	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	15.900	15.900	–	008390
एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु राकेश पालरेचा पुत्र बाबुलाल, निवासी 204, टैगोर नगर, अरिहन्त विला, पाली शहर हाल मैनेजर मैसर्स रूचिता गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से जब्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के न होकर, उनके मिलन वालों के है, जिन्हे रिफिल करवाने हेतु रखा गया था तथा अप्रार्थी द्वारा गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है। अप्रार्थी एक मजदूर है तथा गैस भरने की इलेक्ट्रीक मशीन किसी अन्य की है जो वहां पर रखी हुई थी। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना किसी विधिक आधारों के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाकर प्रार्थी द्वारा जब्त गैस सिलेण्डर मय इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली अप्रार्थी को लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पाली शहर में रामदेव रोड पर स्थित एक मकान पर घरेलु गैस सलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी संख्या 01 एवं मौके पर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रूबरू मौतबिरान· रवि पुत्र लिखमीचंद, निवासी 105, रजत नगर, पाली शहर एवं मो. आसिफ पुत्र मंजुर मोहम्मद, निवासी घोसी कॉलोनी, पाली शहर की उपस्थिति में मकान का निरीक्षण के दौरान 06 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) (5 एचपी व 1 इण्डेन) कम्पनी के तथा एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर पाये गये, जिनका अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री की जा रही थी। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री की जा रही थी, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त 06 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) (5 एचपी व 1 इण्डेन) कम्पनी का अवैध व्यावसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं जब्तशुदा 06 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर को मैसर्स रूचिता गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एव विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित 06 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) (5 एचपी व 1 इण्डेन) कम्पनी का अवैध व्यावसायिक उपयोग (भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री) किए जाने पर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरो के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 06 गैस सिलेण्डरों को मय गैस एवं एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों एवं एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली